[17/2/2026]

प्रश्न क्र 143

परिशिष्ट-अ

मध्यप्रदेश शासन प्रश्न सं [क. 143]
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 158 /उ.स./वि–5/स्था./2024 भोपाल, दिनांक 04/05/2024

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत समस्त
म.प्र.।

विषयः– ग्राम पंचायत सचिवों के संलग्नीकरण संबंधी।

––00––

प्रायः देखा गया है कि ग्राम पंचायत सचिवों को जिला/जनपद के अधिकारियों द्वारा उनके मूल कार्यालय ग्राम पंचायत से पृथक कर अन्य कार्यालयों में संलग्न कर दिया जाता है। संलग्नीकरण के संबंध में शासन एवं पंचायत राज संचालनालय स्तर से कोई भी नियम/दिशा–निर्देश जारी नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में संलग्नीकरण का जारी किया गया आदेश नियम के विरूद्ध होगा।

2/ संलग्नीकरण आदेश के विरूद्ध मान. उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं में इसे विधि अनुरूप नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये है तथा मान. न्यायालय द्वारा राज्य स्तर से इस तरह की त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये है।

3/ अतः निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सचिवों के संलग्नीकरण के आदेश किसी भी स्थिति में जारी नहीं किया जाये। भविष्य में इस तरह की स्थिति विभाग के संज्ञान में आने पर संबंधितो के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जावेगी।

(अपर मुख्य सचिव महो. द्वारा अनुमोदित)

(राकेश कुशरे) 04/05/24
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक 159 /उ.स./वि–5/स्था./2024 भोपाल, दिनांक 04/05/2024

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. संभागायुक्त, समस्त संभाग म.प्र.।
3. संचालक सह–आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. विकास आयुक्त, म.प्र.शासन, विकास विभाग, अरेरा हिल्स भोपाल।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग